<u>सत्यनिष्ठा संधि</u>

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राईवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) जो इसके बाद से **"प्रिन्सिपल"** कहलाएगा

तथा

..... जो इसके बाद **"बोलीधारक / ठेकेदार"** कहलाएगा

के बीच:

<u>प्रस्तावना</u>

प्रिन्सिपल, संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अधीन ..... के लिए संविदा/एं प्रदान करने का इच्छुक है। प्रिंसिपल अपने बोलीधारक(ओं) और / या ठेकेदार(ओं) के साथ सभी प्रासंगिक देश के कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता / पारदर्शिता का पूर्ण अनुपालन करने को महत्व देता है।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त **स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर** (IEM), टेंडर प्रक्रिया और उपरोक्त उल्लिखित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए संविदा के निष्पादन की निगरानी करेंगे ।

भाग 1 - प्रिन्सिपल की प्रतिबद्धताएं

(1) प्रिन्सिपल भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है: -

क. प्रिन्सिपल का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा के संबंध में किसी अनुबंध या मांग के लिए, स्वयं या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी भौतिक या अभौतिक लाभ जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है उसे स्वीकार या स्वीकार करने का वादा नहीं करेगा ।

ख. प्रिन्सिपल, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीधारक(ओं) के साथ समान और तर्कसंगत व्यवहार करेंगे। प्रिंसिपल विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान सभी बोलीधारक(ओं) को एक समान जानकारी प्रदान करेंगे और किसी भी बोलीधारक(ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, जिसके माध्यम से बोलीधारक(ओं) को निविदा प्रक्रिया या संविदा निष्पादन के संबंध में कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके।

ग. प्रिन्सिपल सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखेगा।

(2) यदि प्रिन्सिपल अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करता है जो कि आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत एक दांडिक अपराध है, या यदि इस संबंध

में कोई तथ्यपूर्ण संदेह है, तो प्रिन्सिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं।

भाग 2 - बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) की प्रतिबद्धताएं

(1) बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) भ्रष्टाचार को रोकने के सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और संविदा निष्पादन के दौरान बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करेंगे ।

क. बोलीधारक (ओं)/ ठेकेदार(ओं), सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में या संविदा के निष्पादन में शामिल प्रिन्सिपल के कर्मचारियों या किसी तीसरे व्यक्ति को किसी तरह की सामग्री या अन्य कोई लाभ देने का प्रस्ताव नहीं देंगे या वादा नहीं करेंगे जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है जिससे कि बदले में उन्हें निविदा प्रक्रिया के दौरान या संविदा निष्पादन के समय किसी प्रकार का लाभ मिले।

ख. बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) किसी अन्य बोलीधारक (ओं) के साथ कोई अज्ञात करार या समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक संविदाओं, बोलियां प्रस्तुत करने या नहीं करने या प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए उठाए गए कदमों या बोली प्रक्रिया में व्यवसायी समूहन रोकने के लिए लागू किया जाता है।

ग. बोलीधारक (ओं)/ ठेकेदार (ओं) संबंधित आईपीसी / पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) प्रिन्सिपल के द्वारा व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में, दी गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज़, योजना संबन्धित, तकनीकी प्रस्तावों और व्यापारिक विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचित या प्रेषित जानकारी सहित का अनुचित उपयोग प्रतिस्पर्धा में या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनाओं के लिए, या दूसरों को हस्तांतरित करने के लिए, नहीं करेंगे।

घ. बोलीधारक (ओं) को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे बोली / खरीद प्रक्रिया में भागीदारी के लिए किसी भी एजेंट को नियुक्त नहीं कर रहे हैं।

ङ. सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले बोलीधारक (ओं)/ ठेकेदार (ओं) जब आई ई एम के पास किसी मामले का प्रतिवेदन करते हैं तो उक्त मामले में किसी न्यायालय तक नहीं जाएंगे और आई ई एम के फैसले का इंतजार करेंगे।

(2) बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे या ऐसे किसी अपराधों के लिए सहायक नहीं होंगे ।

भाग 3 - निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के संविदाओं से बहिष्करण
यदि संविदा देने से पहले या निष्पादन के दौरान बोलीधारक (ओं) / ठेकेदार (ओं) ने उपरोक्त या किसी अन्य रूप में धारा 2 का उल्लंघन किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता या साख पर सवाल पैदा हो तो, प्रिन्सिपल को हक है कि बोलीदाता (ओं) / ठेकेदार (ओं) को निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य घोषित करें या बीआरबीएनएमपीएल के प्रोक्योरमेंट मैनुअल के खंड 6.5 (प्रतिबंध और ब्लैकलिस्टिंग) के अनुसार कार्रवाई करें।

भाग 4 - क्षति के लिए मुआवजा
(1) यदि प्रिन्सिपल ने उपरोक्त भाग 3 के अनुसार, संविदा देने से पहले निविदाकर्ता को निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराया है, तो प्रिन्सिपल अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / बिड सिक्योरिटी के बराबर हर्जाना मांगने और वसूलने का हकदार है।

(2) यदि प्रिन्सिपल ने भाग 3 अनुसार अनुबंध समाप्त कर दिया है, या यदि प्रिन्सिपल भाग 3 के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का अधिकारी है, तो प्रिन्सिपल ठेकेदार से प्रदर्शन बैंक गारंटी की राशि के बराबर संविदा मूल्य के परिनिर्धारित नुकसान ठेकेदार से मांगने और वसूलने का अधिकारी होगा।

भाग 5 - पिछला उल्लंघन
(1) बोलीधारक यह घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश की किसी अन्य कंपनी जो यहाँ पर परिकल्पना की गई किसी भी भ्रष्ट आचरणों के संबंध में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करता हो या भारत के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के साथ या भारत के किसी सरकारी विभाग के साथ ऐसा कोई उल्लंघन का अपराध नहीं हुआ है, जिसके कारण बोलीधरक को निविदा प्रक्रिया से बहिष्कृत किए जाने को उचित ठहराया जा सके।

(2) यदि बोलीधारक इस विषय से संबन्धित गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है या बीआरबीएनएमपीएल की प्रोक्योरमेंट पुस्तिका के खंड 6.5 (प्रतिबंध और ब्लैकलिस्टिंग) के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

भाग 6 - सभी बोलीधारकों / ठेकेदारों / उप ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार
(1) उप-संविदा के मामले में, उप-ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने की जिम्मेदारी प्रधान ठेकेदार लेगा।

(2) प्रिन्सिपल सभी बोलीधारकों और ठेकेदारों से एक समान शर्तों के साथ करार करेंगे।

(3) प्रिन्सिपल उन सभी बोलीधारकों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करेगा जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

भाग 7 - **उल्लंघनकर्ता बोलीधारक(ओं) / ठेकेदार(ओं) / उप ठेकेदार(ओं) के खिलाफ आपराधिक मामला**

यदि प्रिन्सिपल को किसी **बोलीधारक / ठेकेदार / उप ठेकेदार** या उनके किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी सहयोगी के किसी ऐसे आचरण का पता चलता है जो भ्रष्टाचार में सहायक हो सकता है या यदि प्रिन्सिपल को इस संबंध में तथ्य परक संदेह है, तो प्रिन्सिपल इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा ।

भाग 8 - स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर

आई ई एम का नाम: श्री वी.वी.आर.शास्त्री
ई-मेल: sastryvvr@gmail.com

(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद प्रिन्सिपल इस संधि के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर नियुक्त करता है । मॉनीटर का काम स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है, क्या या किस हद तक सभी पक्ष इस करार के तहत दायित्वों का पालन करते हैं।

(2) मॉनीटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के अनुदेशों के अधीन नहीं है तथा अपने कार्यों का निष्पादन तटस्थ एवं स्वतंत्ररूप से करेगा। आवश्यकता पड़ने पर मॉनीटर को संविदा से संबन्धित सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह उनका दायित्व होगा कि बोलीधारकों /ठेकेदारों की सूचनाओं और दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखें। वह बीआरबीएनएमपीएल के अध्यक्ष (चेयरमेन) को रिपोर्ट करेंगे।

(3) बोलीधारक(ओं) / ठेकेदार (ओं) स्वीकार करता है कि मॉनीटर को संविदाकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेजों सहित प्रिन्सिपल के सभी परियोजना दस्तावेजों को बिना प्रतिबंध के देखने का अधिकार है। मॉनीटर के अनुरोध और वैध हित प्रदर्शित करने पर संविदाकर्ता उनके परियोजना दस्तावजों को अप्रतिबंधित एवं बिना शर्त मॉनीटर को मुहैया करेंगे । यही उप-संविदाकर्ताओं पर लागू होता है।

(4) मॉनीटर पर बोलीधारक(ओं) / ठेकेदार (ओं) / उप ठेकेदार (ओं) की सूचनाएँ एवं दस्तावेजों को गोपनीय रखने की संविदाकृत बाध्यता है । मॉनीटर ने गोपनीय सूचनाओं को प्रकट नहीं करने और हित संघर्ष नहीं होने की घोषणाओं पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बाद में उत्पन्न होने वाले किसी भी हितों के टकराव के मामले में, आई ई एम, बीआरबीएनएमपीएल के अध्यक्ष को सूचित करेंगे और उस मामले से स्वयं को अलग कर लेंगे।

(5) प्रिन्सिपल परियोजना (प्रोजेक्ट) से संबंधित पार्टियों की समस्त बैठकों की पूरी जानकारी मॉनीटर को उपलब्ध करायेगा बशर्ते कि ऐसी बैठकों का प्रभाव प्रिन्सिपल और ठेकेदार के बीच संविदाकृत संबंधों पर पड़े। पार्टियाँ ऐसी बैठकों में भाग लेने हेतु मॉनीटर को विकल्प भेजेगी।

(6) जैसे ही मॉनीटर को यह आभास होगा या ऐसा विश्वास हो जाएगा कि इस करार का कहीं न कहीं उल्लंघन हुआ है, तो वह इसकी सूचना प्रिन्सिपल के प्रबंधन को देगा तथा प्रबंधन से अनुरोध करेगा

कि करार को समाप्त करें या कोई सुधारात्मक उपाय करें या कोई अन्य संगत कार्रवाई करें । मॉनीटर, इस विषय में अबाध्यकर सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है| इससे ज्यादा, मॉनीटर को पार्टियों से एक विशिष्ट रूप में कार्य करने, कार्रवाई से बाज आने या कार्रवाई सहने की मांग करने का अधिकार नहीं है|

(7) प्रिन्सिपल द्वारा मॉनीटर को सूचना या संदर्भ देने की तारीख के 8 से 10 सप्ताहों के भीतर मॉनीटर, प्रिन्सिपल के बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यक हो तो समस्यात्मक स्थितियों को सुधारने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा|

(8) यदि मॉनीटर ने आइपीसी/पीसी अधिनियम के अधीन अपराध के तथ्यात्मक संदेह की रिपोर्ट बीआरबीएनएमपीएल के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया है और बीआरबीएनएमपीएल के अध्यक्ष ने यथोचित समय के अंदर ऐसे अपराध के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है तो, मॉनीटर सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को भी यह सूचना दे सकता है।

(9) ´मॉनीटर´ शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों सम्मिलित हैं ।

भाग 9 - संधि की अवधि

यह संधि तब आरंभ होती है जब इसके दोनों पक्ष कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं । यह ठेकेदार के लिए संविदा के तहत हुए अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद और संविदा दिए जाने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है। इसका किसी प्रकार से उल्लंघन होने पर बोलीधारकों को अयोग्य समझा जाएगा और भविष्य के किसी व्यापारिक लेन-देन से उन्हें बाहर रखा जाएगा।
यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है / दर्ज किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और ऊपर बताए अनुसार इस संधि के चूक जाने के बावजूद तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि बीआरबीएनएमपीएल के अध्यक्ष द्वारा इसका निपटारा/ निर्धारण नहीं किया जाता।

भाग 10 - अन्य प्रावधान

(1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। इसका निष्पादन क्षेत्र एवं अधिकारिता प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय अर्थात, बेंगलुरु है ।

(2) परिवर्तनों और पूरकों तथा समाप्ति की सूचना लिखित रूप में दी जाने की जरूरत है। साइड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं।

(3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

(4) इस समझौते के एक या कई प्रावधान अवैध हो जाने पर भी, इसके शेष प्रावधान वैध बने रहेंगे । इस स्थिति में, सभी पक्ष अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगे।

(5) वारंटी / गारंटी जैसे मुद्दे आई ई एम के दायरे से बाहर होंगे।

(6) सत्यनिष्ठा संधि और इसके संलग्नक के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, सत्यनिष्ठा संधि में विहित उपबंध मान्य होंगे।

(प्रिन्सिपल के लिए और की ओर से)	(बोलीधारक/ठेकेदार के लिए और की ओर से)
(कार्यालय मुहर)	(कार्यालय मुहर)

स्थान /Place :

तिथि /Date :

साक्षी/Witness 1:

(नाम और पता / Name & Address)

साक्षी/Witness 2 :

(नाम और पता / Name & Address)